मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, विकास के लिये स्वीकृति पत्र

संख्या- 165/ मु0वि0प्रा0/मानचित्र संख्या- BF/MH/VC/325/11-12 दिनांक-22/03/13 श्री/श्रीमती मनोज आहूजा पुत्र स्व0 श्री मनोहरलाल आहूजा, निवासी- राजन इन्कलेव, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद स्थल- गाटा सं0 866, ग्राम मनोहरपुर थाना-मझोला, मुरादाबाद ।

आपको सूचित करना है कि भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र उ0प्र0 नगर नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति किया जाता है। जिसकी प्रति आदेश के साथ संलग्न है।

यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।

मनचित्र की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय । जैसे नगर पालिका मु0वि0प्रा0 रेलवे सेटिलमेंट, नोटिफिकेशन एरिया किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नही होता यदि प्रभावित होता है । तो उसकी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होगी ।

भवन मानचित्र जिसके प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है। केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।

दे भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा जो वह बिना आपत्ति के देय होगा ।

जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगा, उस पर शासन अथवा किसी भी स्थानीय निकाय को विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

दरवाजे व खिड़कियॉ इस तरह लगाये जायेगें कि वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि अथवा सड़क आदि की ओर प्रोजेक्टेड न हो ।

बिजली की लाईन में 5 फीट के अन्दर से तथा विद्युत उपनियमों (पाईप लाईन) के विरूद्ध कोई कार्य न किया जायेगा ।

सड़क सर्विस लेन, सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मैटिरियल्स नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा ।

स्वीकृत मानचित्र का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना आवश्यक होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के द्वारा (स्पैसीफिकेशन) नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भूमि एंव भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय प्रार्थी पर होगी ।

0. सड़क पर अथवा बैक लैन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नही बनाया जायेगा और वह अपना कार्य केवल अपने ही भूमि पर सम्पन्न करेगा। मानचित्र में कटे हुए भाग का निर्माण नही किया जायेगा एंव निर्माण स्वीकृत मानचित्र के आधार पर की करना होगा ।

सेता यदि मानचित्र में उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ किया जाता है तो वह पूर्ति मान्य होगी एंव भवन निर्माण सम्बन्धी समय-समय पर प्रसारित शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए की किया जायेगा।

3. निर्माणकर्ता इस स्वीकृत का उपयोग नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 को किसी भी धारा से बचने के लिये नही कर सकेगा और यदि उस स्वीकृति का विपरीत प्रभाव उपरोक्त अधिनियम को किसी भी धारा पर पड़ता है तो वह स्वीकृति उस सीमा तक निरस्त समझी जायेगी।

4. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण होने के 01 माह के अन्दर अपना कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे ।

5. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी।

6. आन्तरिक विकास कार्यो को 05 वर्षो में पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण में आगणन में प्रकलित राशि के अनुसार रू0 7.30 करोड़ की बैंक गारन्टी प्राधिकरण कोष में बंधक रखनी होगी तथा कार्यो को पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध करना होगा । बैंक गारन्टी आन्तरिक विकास कार्य सन्तोषजनक से पूर्ण होने पर अनुपातिक रूप में अवमुक्त किया जायेगा ।

7. आन्तरिक विकास कार्य में समस्त सिविल वर्क लोक निर्माण के मानक अनुसार पूर्ण करने होंगे एंव विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन विभाग के मानकों व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए कराने होंगे तथा विद्युत आपूर्ति मांग अनुसार ट्रांसफार्मर/सबस्टेशन की भूमि आवश्यकतानुसार निःशुल्क छोड़नी होगी ।

क्रमशः 2.....